आर.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00039

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 11/2020 (लीलाधर बनाम अनुजकुमार वगैरह)

निर्णय दिनांक :– 04.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.10.2023 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम पाण्डासी पटवार हल्का कंकड़ेऊ कलां की सरहद में स्थित भूमि हाल ख0न0 366 रकबा 2.05 है0 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 14 को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 18 को 1/3 हिस्से का पैतृक कब्जा काश्त के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 04.10.2023 को जारी की गई।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आइ.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 11/2020 (GCMS NO. 2020/00039)

श्री लीलाधर पुत्र सांवल जाति नायक निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
वादी

बनाम

1. अनुज कुमार पुत्र स्व. मुकेश
2. मनजीत पुत्र स्व. मुकेश
3. सोनू पुत्री स्व. मुकेश तमाम नाबालिग जरिये संरक्षक वली कुदरती माता श्रीमती सुमन देवी पत्नी स्व. मुकेश जातिगण नायक निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. श्रीमती सुमन देवी पत्नी स्व. मुकेश जाति नायक निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. श्री विजेन्द्र पुत्र लीलाधर जाति नायक निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. श्री संदीप कुमार पुत्र इन्दरराम जाति नायक निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

वकील पक्षकारान
विद्वान अधिवक्ता वादी – मोहम्मद रशीद खान
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी – श्री मुकर्रम अंसारी

दावा बाबत घोषणार्थ अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 04.10.2023

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 730 रकबा 0.06 है0, ख0न0 1156/731 रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम मलसीसर में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता एवं पति का 1/3 हिस्सा था जिसमें मुकेश के फौत होने पर उसके 1/3 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति मुकेश कुमार की माता का स्वर्गवास होने पर उसके 1/3 हिस्सा का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज हुआ। जिससे उक्त सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/2 हो गया। उक्त वर्णित भूमि ख0न0 1156/731 रकबा 0.66 है0 में से 0.5429 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने हिस्से की भूमि जरिये माता प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा एक विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2017 को वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में तस्दीक करवाया और क्रय दिनांक से कब्जा प्राप्त कर लिया तथा काबिज काश्त हो गये। वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने क्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाना

चाहा परन्तु नामान्तरकरण दर्ज होने से पहले ही उक्त वर्णित भूमि का विभाजन हो गया तथा ख0न0 1156/731 रकबा 0.66 है0 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज होकर अलग से खाता विभाजन हो गया जिसमें तीनो प्रतिवादी नाबालिग है जो राजस्व रिकार्ड में जरिये कुदरती माता संरक्षक प्रतिवादी संख्या 4 सुमन देवी पत्नी मुकेश का नाम दर्ज होना चाहिये था। परन्तु भूलवश नाबालिको का अलग से खाता विभाजन कर दिया। उक्त नाबालिग प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के साथ संरक्षक का नाम ना होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सका। इसलिये वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 द्वारा क्रयशुदा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अन्त में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि ख0न0 1156/731 रकबा 0.66 है0 भूमि में से 0.5429 है0 भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से एडवोकेट मुकर्रम अंसारी ने इकबाली जवाब पेश कर मुताबिक वाद वादी स्वीकार किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने में कोई उजर एतराज नहीं होना जाहिर किया।

वाद के समर्थन में साक्ष्य में वादी ने अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया। जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक विक्रय पत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2017 के वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को वाद वादी अनुसार डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। समस्त तथ्यों, साक्ष्य सबूतों एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम मलसीसर स्थित जमीन हाल खसरा नम्बर 1156/371 रकबा 0.66 है0 में 0.5429 है0 भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाईसिंह 04/10/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर